कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

20/5/26 अभियोजन साक्षीकारी प्रपत्रित/क्षतिपुरक स्तु. की ओर से जारिये साक्षीकर्ता हाजरी साक्षी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो केवल साक्ष के लिए स्वीकार किया जाता है/उक्त शांतिभंग हेतु अवसर चाहा/आवेदित को एक शांतिभंग अवसर ओर दिया जाता है/पत्रावली पर उक्त शांतिभंग दिनांक 27/5/26 को पेश हो/

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम-2, (विशिष्ठ न्यायालय) ज.वि.प्रा.
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर

29 सी. आर. पी.

दस्तावेज की फ

1. आरोप पत्र
2. रिपोर्ट अन
3. नोटिस अ
4. अभियोजन
5. परिवादी
6. चालान अ
7. अप्रार्थी द्व

sub